



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0-156/2023/ 3207
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 12/9/2023

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

विषय :-

Forest proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non-forest purpose for the project "Chhattisgarh, Lot-3 (Urga-Pathalgaon Section) in the state of Chhattisgarh. Total proposed forest area for diversion in 169.0231 ha. (77.3042 ha. in Korba Forest Division, 90.9718 ha. in Dharamjaygarh Forest Division and 0.7471 ha. in Jashpur Forest Division) in the State of Chhattisgarh.

— पंजीयन क्रमांक—FP/CG/ROAD/122482/2021

संदर्भ :-

वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर का पत्र क्र./मा.चि./2023/2324 दिनांक 31.08.2023

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में जशपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उरगा-पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745, कुल क्षेत्र 0.7471 हे. का वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार 44 बिन्दुओं की नवीन चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

आवेदक संस्थान द्वारा उरगा-पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130ए में सड़क निर्माण हेतु नारंगी वनभूमि की निम्नानुसार मांग की गई है :-

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	वनभूमि का रकबा (हे.में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे.में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.में)	योग (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जशपुर	पत्थलगांव	0.000	0.7471	0.000	0.7471

वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र मय वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव 05 प्रतियों में अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र मय व्यपवर्तन प्रस्ताव-05 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0/मा.चि./न0क्र0-156/2023

3268

अम्बिकापुर, दिनांक 12/9/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबंधक (तक.)/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

"नहीं"

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

"हाँ"

16. प्रस्ताव की रचीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्ताव में कृत्रिम वन है

दिनांक :-

स्थान :- काठियावाड़

मुख्य वन संरक्षक [Navred Shugrauddin
हरगुज 1: अम्बिकापुर "क. न. 5"
(हस्ताक्षर)]

नाम

सरकारी मोहर